समक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प

भोपाल म0प्र0

रिवीजन कमांक-

शैलेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह पुर्विया
आयु वयस्क निवासी-ग्राम तरौनकला
तहसील पिपरिया जिला होशंगाबाद --- रिवीजनकर्ता

विरूद्ध

ललित सिंह आ. श्री विशाल सिंह पुर्विया
आयु वयस्क निवासी-ग्राम तरौनकला
तहसील पिपरिया जिला होशंगाबाद --- अनावेदक

रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959

महोदय,

रिवीजनकर्ता की ओर से निम्न निवेदन है कि :-

माननीय अनुविभागीय अधिकारी पिपरिया जिला होशंगाबाद द्वारा राजस्व अपील कमांक/37/2016-17 पक्षकार ललित सिंह विरूद्ध शैलेन्द्र सिंह में दिनांक 03/01/2018 को पारित आदेश से क्षुब्द असंतुष्ट व दुखी होकर प्रकरण के तथ्य व ठोस आधारों पर उक्त निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है :-

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगाबाद/भूरा/18/1048

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-7-18	उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2- आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी पिपरिया जिला होशंगाबाद के प्रकरण क्रमांक 37/अपील/2016-17 में पारित आदेश दि. 3-1-2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 3- आवेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा अपनी अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब के लिये धारा 5 परिसीमा अधिनियम के आवेदन पत्र में असद्भाविक कारण दर्शाये गये हैं, विधि अनुसार सद्भाविक विलम्ब के कारण को ही माफ किया जा सकता है अद्भाविक कारणों पर विलम्ब माफ किया जाना विधिसंगत नहीं होता है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया । 4- अनावेदकपक्ष के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है । 5- उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदकपक्ष के अधिवक्ता के तहसील न्यायालय में उपस्थिति के हस्ताक्षर है तथापि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष धारा 5 के आवेदन में छूट के लिये जो आधार बतायें गये है उन्हें अनुविभागीय अधिकारी ने सद्भाविक मानने में कोई त्रुटि नहीं की है, क्योंकि प्रकरण में प्रथम अपील का निराकरण गुणदोष पर किया जाना ही यथोचित होगा । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है । 6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी पिपरिया जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दि.3-1-2018 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है । अध्यक्ष	